लेख

कचरा छांटती हुई महिला

फ़ोटो: शशि भूषण पंडित

# आजीविका के लिए आवाज़

**शशि भूषण पंडित**

**दिल्ली महानगर में** ठोस कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। इसके व्यवस्थापन में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस समस्या में सुधार के कोई आसार नहीं दिखते हैं। आये दिन संसद, विधानसभा, निगमसभा, अखबार और टेलिविज़न में सवाल उठते रहते हैं। इसके सही प्रबंधन का अभाव स्वच्छ व स्वस्थ जीवन को प्रभावित तो करता ही है साथ ही पर्यावरण को भी दूषित करता है। ठीक तरीके से कचरा प्रबंधन नहीं होने के कारण कई शहरों में महामारी फैली है और सैकड़ों लोगों की जानें तक गई हैं। इन समस्याओं को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2000 में बर्मन कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि, 'ठोस कचरा प्रबंधन में मज़दूरों की भूमिका शरीर में रीढ़ की हड्डी के समान है। इनके मुफ्त सहयोग से कुल ठोस कचरे में से करीब 15 से 20 प्रतिशत प्रतिदिन कचरे की छंटाई हो जाती है। इस सेवा से नगरपालिका रोज़ाना लाखों रुपयों की बचत करती है। इसलिए कचरा चुनने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को काम से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कचरा प्रबंधन के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में इन मज़दूरों की भागीदारी अहम है। ठोस कचरा प्रबंधन का काम स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिहाज़ से भी बेहद ज़रूरी है।'

इस बात की पुष्टि सरकार के कई अन्य कमेटियां भी की है जैसे बजाज कमेटी, द्वितीय लेबर कमीशन इत्यादि। बर्मन कमेटी के सुझावों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया।

दिल्ली में करीब 3.5 लाख लोगों की जीविका कचरा व्यवसाय से चलती है। कूड़े के बारे में एक आकलन यह है कि करीब 80 प्रतिशत कूड़ा दोबारा उपयोग में लाया जा

सकता है। 50 प्रतिशत कूड़ा ऐसा होता है जिसको जैविक खाद या बायो गैस में तब्दील किया जा सकता है। लगभग 30 प्रतिशत कूड़े को पुनर्चक्रित किया जा सकता है। मात्र 20 प्रतिशत कूड़ा ही है जिसको लैंडफिल में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इस नीति को आगे बढ़ाए जाने पर पर्यावरण की रक्षा व स्वच्छता की गारंटी तो होगी ही साथ ही कूड़ा चुनने वाले मज़दूरों को जीविकापार्जन की गारंटी भी दी जा सकेगी।

कचरा चुनने वाले मज़दूरों में एक बड़ा हिस्सा महिलाएं व बच्चों का है। पूरे वर्कफोर्स में 40 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है जो सबसे अधिक प्रताड़ना व अपमान सहने को मजबूर है। भारतीय समाज में महिलाएं रिक्शा-ठेला नहीं चलाती हैं लेकिन कचरा व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं सब काम करती हैं। जहां पर खतरनाक धातु हो वहां महिलाओं विशेषतौर पर गर्भवती महिलाओं को जाना मना है। कचरा व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं है। कचरे के ढेर में पारा व लेड जैसे खतरनाक रसायन, पदार्थ मिलते हैं। इनसे औरतों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचता है। लैंडफिल में लगातार आग जलने के कारण रसायन गैस पैदा होती है जिससे औरतों की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है।

दिल्ली में तीन नगर निकाय हैं — दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (डीसीबी)। सरकारी बेवसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 8000 मैट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन पैदा होता है। लेकिन ये आंकड़े उस कूड़े के हैं जिसका नगर निकाय संग्रहित करके लैंडफिल पहुंचाती है। नगर निकायों के पास कचरे का वज़न करने की सुविधा लैंडफिल साइट पर ही उपलब्ध होती है। लेकिन हकीकत में कचरे की मात्रा इससे कहीं अधिक है। कचरा चुनने वाले मज़दूर द्वारा लैंडफिल तक कचरा पहुंचने के पहले ही उसकी छंटाई कर लेते हैं।

कूड़ा प्रबंधन की प्रमुख ज़िम्मेदारी नगरपालिका की है। नगर पालिका ने इस काम को सस्ते व सरल तरीके से निपटाने के लिए इसका निजीकरण कर दिया है। कचरा उठाने का ठेका निजी ठेकेदारों को दे दिया जाता है जो दिहाड़ी मज़दूरों के ज़रिए घरों व सड़कों से कूड़ा एकत्रित करते हैं। इन मज़दूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और ठेकेदारों का मकसद केवल मुनाफ़ा कमाना ही होता है। नगरपालिका नागरिकों को बता रही है कि कूड़े से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। पर नागरिकों को यह नहीं बताया जा रहा है कि इस प्रयोग की विधि इतनी नुकसानदेय है कि विश्वस्तर पर इसे रद्द कर दिया गया है। सन् 1990 में दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में ऐसी परियोजना लगाई गई थी जिससे होने वाले नुकसान के कारण इसे बंद कर देना पड़ा। यहां स्थापित ईकाई से एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की जा सकी।

## अनौपचारिक क्षेत्र की समस्या

परंपरागत तरीके से कचरा प्रबंधन के काम में असंगठित क्षेत्र जुड़ा हुआ है। परन्तु मुनाफ़े के लालच में नगरपालिका ने निजी कंपनियों को इस कार्य क्षेत्र में सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। आज दिल्ली के अस्सी प्रतिशत इलाके में निजी कार्पोरेट का कब्ज़ा है जो असंगठित क्षेत्र कामगारों को इस काम से अलग कर रहे हैं।

*अखिल भारतीय कबाड़ी मज़दूर महासंघ* द्वारा किए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि निजी कंपनियों को असंगठित क्षेत्र से बाहर करने के पीछे क्या कारण है। एनडीएमसी क्षेत्र से रोज़ाना अस्सी टन सूखा कूड़ा निकलता है जो सूची से बाहर है। इस कूड़े की प्रतिवर्ष कीमत चौदह करोड़ चालीस लाख है। इसके अलावा कंपनियों की लैंडफिल तक कूड़ा पहुंचाने के लिए रोज़ाना 511 रुपए प्रति टन खर्चा दिया जाता है। ढाई सौ टन कूड़ा रोज़ निकलता है जिसका सालाना व्यय चार करोड़ उनसठ लाख रुपए होता है।

कंपनियां चाहती हैं कि एनडीएमसी क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े पर भी उनका एकाधिकार हो और प्रतिवर्ष चौदह करोड़ चालीस लाख का मुनाफा उन तक पहुंच जाए। इस सूखे कूड़े की छंटाई असंगठित क्षेत्र के मज़दूर करते आए हैं। निजीकरण के चलते कंपनियां व्यवसायिक क्षेत्र के हर खत्ते से कचरे की छंटाई के लिए मज़दूरों से तीन हज़ार से पन्द्रह हज़ार मासिक रुपए वसूल कर रही है। कंपनियां पुनर्चक्रण योग्य माल भी अपने पास रख लेती हैं जिससे उनका मुनाफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।

इस मुद्दे का एक दूसरा पहलू भी है जो मज़दूरों के लिए

हितकारी है। यदि इस सारे कूड़े पर मज़दूरों का हक़ हो तो गीले कूड़े की खाद बनाई जा सकती है। एक साल में लगभग छः करोड़ बारह लाख किलो खाद का निर्माण होने पर मज़दूरों को अच्छी आर्थिक आमदनी होगी।

एनडीएमसी के सामने इस समस्या के निपटारे के लिए दो विकल्प हैं। पहला कंपनी को 4.59 करोड़ रुपए सालाना देकर 250 टन कूड़े का निपटारा किया जाए। दूसरा मज़दूरों के सहयोग से 80 टन कूड़े का पुनर्चक्रण और 170 टन कूड़े की खाद बनाई जाए। ऐसा करने से सिर्फ़ 70 टन कचरा लैंडफिल पहुंचाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने पर 3.62 करोड़ रुपयों की बचत हो सकती है।

दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3.5 लाख लोगों की जीविका कचरे की छंटाई के व्यवसाय से चलती है। सवाल यह है कि इनके जीविका के साधन की सुरक्षा कैसे हो? इसके लिए मज़दूरों को मुख्यतः तीन ज़रूरतों की आवश्यकता है। पहली, कामगार के रूप में पहचान जिससे मज़दूरों को पुलिस और निगम अधिकारियों से बचाव मिले। दूसरी, कूड़े के ऊपर अधिकार जिससे काम करने में दिक्कत न हो और कमाई अच्छी रहे, और तीसरी कूड़ा बीनने के लिए नियत जगह जहां कूड़ा एकत्रित किया जा सके और माल की हिफाज़त हो सके। इसके साथ ही इस पूरे व्यवसाय को कानूनी वैधता प्रदान की जाए ताकि पुनर्चक्रण का काम सुरक्षा और सफ़ाई के साथ हो सके और पर्यावरण को हानि न पहुंचे।

## मज़दूरों के द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थागत मॉडल

शहरी कचरे के संग्रह, छंटाई, पुनर्चक्रण, ढुलाई, बिक्री और निस्तारण की संभावित वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मज़दूरों ने निम्न प्रस्ताव सुझाया है। यह व्यवस्था आवासीय क्षेत्र में प्रति 1,000 आबादी पर एक ढलाव और प्रति व्यक्ति 0.6 किलो कचरा के डीडीए के नियम पर आधारित है। औसत के स्तर पर देखें तो एक ढलाव में रोज़ लगभग 500-600 किलो कचरा आएगा। अगर ये मान लिया जाए कि साइकिल पर घूम-घूम कर कचरा जमा करने वाले एक बार में 50-100 किलो तक छंटा हुआ कचरा इकट्ठा करके ले जा सकते हैं तो हर ढलाव के लिए घर-घर कचरा संग्रह और छंटाई के लिए 6-10 कचरा बीनने वालों की व्यवस्था होनी चाहिए।

फ़ोटोः शशि भूषण पंडित

*जैविक कचरा इकट्ठा करती हुई महिला*

ढलाव से जो कचरा निकलता है उसमें से प्रति 500 किलोग्राम कचरे में से 250 किलोग्राम जैविक कचरा होता है और 150 किलोग्राम पुनर्चक्रण योग्य कचरा होता है। कचरा बीनने वालों के संगठनों को इस बात का लाभ मिलना चाहिए कि वे इस कचरे को कम्पोस्टिंग पिट या छंटाई स्थलों पर ले जाएं। ये स्थान इतनी दूरी पर होने चाहिए कि वहां साइकिल या साइकिल रिक्शा से आसानी से जाया जा सके। प्रत्येक छंटाई स्थल पर 10-20 ढलावों की व्यवस्था होनी चाहिए। कम्पोस्टिंग पिट से जो स्वाद पैदा होगी उसे हर हफ्ते साइकिल या साइकिल रिक्शा के जरिए स्थानीय बाज़ारों में ले जाया जा सकता है। इसकी कुछ मात्रा एमसीडी भी इस्तेमाल कर सकती है और बाकी को पार्कों और बगीचों के लिए बेचा जा सकता है। गोदामों में से योग्य पदार्थों को हर हफ्ते छोटे एमटीवी वाहनों के ज़रिए कबाड़ी और जंक डीलर संगठनों द्वारा बड़े कबाड़ियों और समुदाय स्तर की बड़ी इकाइयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

इसके बाद ढलावों में प्रति 500 किलोग्राम कचरे में से जो 100 किलोग्राम कचरा बचता है उसको किसी केंद्रीय स्थान पर ले जाया जा सकता है जहां से निजी सेनेटरी ट्रक इस कचरे को उठाकर लैंडफिल ले जाकर फेंक सकते हैं। ये लैंडफिल समुदाय या ज़िला या ज़ोन स्तर पर हो सकते हैं। इस तरह की एकीकृत व्यवस्था से न केवल परिवहन लागतों में काफी कमी आती है बल्कि लैंडफिल क्षेत्रफल की ज़रूरत भी कम हो जाएगी बशर्ते निजी पक्षों को पुनर्चक्रण योग्य और जैविक पदार्थों पर अधिकार न दिया जाए और उन्हें इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए।

***शशि भूषण पंडित*** *'हरित रीसाइक्लर्स' संगठन के कार्यकर्ता हैं।*